C.N.R. NO- UPBU16 002478 2019

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर</u>

एफ०आर० वाद संख्या 1166 सन् 2019
मुकदमा अपराध संख्या 65 सन् 2018
गौरीशंकर बनाम राजू आदि

धारा- 147, 148, 323, 504, 506, 324 आई.पी.सी.
थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

<u>दिनांकः- 25.04.2023</u>

<u>आदेश</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामले में सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अपर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गयी है। उक्त एफ०आर० पर मुकदमा वादी को नोटिस जारी किये गये, नोटिस के अनुक्रम में थाना खुर्जा ₌नगर से प्राप्त आख्या के अनुसार तामील बजात खास अमल मे लायी गयी। जिसके बावजूद भी न ही परिवादी न्यायालय मे उपस्थित हुआ और न ही परिवादी द्वारा उक्त एफ.आर. के विरूद्ध प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः केस डायरी का अवलोकन करने पर, परिवादी की लगातार अनुपस्थिति तथा **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था नारायण शंकर शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य 2000 प्रयाग निर्णय प्रकाशिका 790 क्रि० इलाहाबाद हाईकोर्ट** मे प्रतिपादित सिद्वान्त के आधार पर अन्तिम आख्या स्वीकार होने योग्य है।

अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है।

पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल हो।

दिनांकः–25.04.2023

(श्रद्वा देवा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।